HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में 02 अभियुक्तों को 03 वर्ष 05 माह का कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 14.09.2026 को मा0 न्यायालय के द्वारा "गैंगस्टर एक्ट" के अभियोग में 02 अभियुक्तों को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- अभियुक्तगण 1. सोनू उर्फ टोटा पुत्र सुन्दर निवासी अतरपुरा थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ व 2. शाकिर पुत्र तनीर निवासी चिडावक थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर द्वारा गैंग बनाकर नकबजनी करने जैसे आपराधिक क्रिया-कलापों में संलिप्त था, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 670/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 10.01.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 14.09.2026 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय ADJ/FTC द्वितीय गैंगस्टर एक्ट हापुड़ द्वारा 03 वर्ष 05 माह का कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री आशीष कुमार (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक निरीक्षक श्री नीरज कुमार एवं पैरोकार म0है0का0 मधु व कोर्ट मोहर्रिर म0है0का0 अंजली तोमर का विशेष योगदान रहा।